माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2019 को पटना नगर निगम के सभाकक्ष में आयोजित विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही–

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2019 को पटना नगर निगम के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें महापौर, पटना नगर निगम, उपमहापौर, पटना नगर निगम, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना -

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत लक्षित IHHL एवं सामुदायिक शौचालय की प्रगति पर खेद प्रकट किया गया। विभाग द्वारा बार–बार निदेश के बाद भी पटना नगर निगम द्वारा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पटना नगर निगम को ODF घोषित करने में देरी हो रही है। पटना नगर आयुक्त को निदेशित किया गया कि सभी छः अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ इसकी समीक्षा की जाए एवं कार्य योजना बनाकर 30 जून, 2019 तक लक्ष्यों को हर हालत में पूर्ण किया जाए।
- निदेश दिया गया कि सभी बचे हुए व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाकर लाभार्थी को राशि भेजी जाए। इसके लिए अपर नगर आयुक्त श्री डी.पी. तिवारी को अधिकृत किया गया। उन्हें निदेशित किया गया कि नोडल पदाधिकारी, SBM, श्रीमति इंदु कुमारी के साथ इससे संबंधित सभी डाटा के साथ विभाग में आकर तुरंत निष्पादन करेंगे।
- साथ ही निदेश दिया गया कि 05 जून, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्कीकरण का शुभारंभ किया गया था, जिसे पटना नगर निगम के सभी वार्डों में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण सभी शहरी निकायों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके लिए आवश्यक डस्टबीन GEM Portal के माध्यम से क्रय कर लोगों में वितरित कर इसे सुनिश्चित कराये जाने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत पटना शहर की साफ–सफाई की अच्छी व्यवस्था की गयी है, किन्तु मुख्य सड़क के अतिरिक्त गलियों की सफाई पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता के संबंध में निदेश दिये गये।
- रामचक बैरिया स्थित कूड़ा संग्रहण केन्द्र पर कार्य कर रहे एजेन्सी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

2. दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) -

- वेडिंग जोन का निर्माण वर्त्तमान में बोरिंग रोड एवं अन्य दो जगहों पर किया जा रहा है। वेडिंग जोन के निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए शहर के अन्य जगहों पर भी वेडिंग जोन का निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
- पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद ही वेडिंग जोन का निर्माण कराने का निदेश दिया गया है।

3. राजस्व संग्रहण–

- नगर निगम के खाली जमीनों का उपयोग जनहित में करने हेतु आवश्यक दिशानिदेश दिया गया है।
- पटना नगर निगम के राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके सैरात, विज्ञापन इत्यादि मद में राजस्व की वसूली असंतोषजनक है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। बताया गया कि विज्ञापन नीति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

- विज्ञापन नीति एवं विनियमिकरण का कार्य निर्धारित कालावधि में करने का निदेश दिया गया ताकि नगर निकायों की आय में बढ़ोतरी की जा सके।
- वर्तमान में शहर में अवैध होर्डिंग बहुतायत रूप में पाये जा रहे हैं यथा पुलिस चेक पोस्ट बोरिंग रोड चौराहा इत्यादि जगहों पर अवैध होर्डिंग हटाने का निदेश दिया गया है। यह भी निदेश दिया गया कि अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए रोस्टर तैयार कर अभियान प्रारम्भ करने के पहले इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये।

4. पटना स्मार्ट सिटी परियोजना–

- पटना स्मार्ट सिटी योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छी प्रगति लाई गई है। इस योजना के तहत शहर के महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। कुछ योजनाएँ अभी निविदा स्तर पर है, उसे भी यथाशीघ्र सम्पादित करने का निर्देश दिया गया है।
- विकास योजनाओं को तैयार करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि इसकी लागत कम हो और जन–उपयोगी हो। योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित कालावधि के अन्दर किया जाय एवं योजनाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नही हो तथा कार्य प्राक्कलन के अनुरूप हो।
- स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री द्वारा जानकारी दी गयी कि इनका भौतिक निरीक्षण शीघ्र किया जाएगा।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत एजेंसी के माध्यम में से House for All Plan of Action (HFAPoA) एवं Annual Implementation Plan (AIP) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। योजना के 3 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी पटना नगर निगम द्वारा HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पास कराकर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में निकायों को निदेश दिया गया कि परामर्शी संस्था से समन्वय स्थापित करके HFAPoA एवं AIP जुलाई माह के अंत तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत आवेदन किये गये लाभुकों का प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजा जाये।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत पटना नगर निगम में BLC घटक में 413 लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसके विरूद्व निगम द्वारा 217 आवासीय इकाइयों को प्रत्यर्पित कर दिया गया है एवं बचे हुए 196 लाभुकों में से एक को भी कार्यादेश निर्गत नहीं दिया गया है। निदेश दिया गया की बचे हुए लाभुकों को जल्द से जल्द कार्यादेश निर्गत किया जाय।
- वैसे लाभुक, जो सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर स्लम में रह रहे हैं उन लाभुकों को चिन्हित करके उन्हें HFAPoA शामिल करते हुए विभाग के द्वारा तैयार किये गये किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के अंतर्गत प्रस्ताव विभाग को भेजने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि किफायती आवास घटक के अंतर्गत जमीन को चिन्हित करते हुए किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के अंतर्गत प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।
- राजीव आवास योजना अंतर्गत चल रही परियोजनाओं में प्रथम चरण में स्वीकृत 759 आवासीय इकाई के विरूद्व अब तक केवल 416 आवासीय इकाइयों का ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है एवं मात्र 33 आवासीय इकाई ही पूर्ण हुए हैं। निर्माणधीन 416 आवासीय इकाइयों में से 85 आवासीय इकाई पिछले 01 साल से Under Site Clearance में ही दिखाया जा रहा है। इसी तरह द्वितीय चरण में स्वीकृत 1061 आवासीय इकाई के विरूद्व अब तक केवल 279 आवासीय इकाइयों का ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है एवं मात्र 15 आवासीय इकाई पूर्ण हुए हैं। निर्माणाधीन 279 आवासीय इकाइयों में से 90 आवासीय इकाई पिछले 01 साल से Under Site Clearance में ही दिखाया जा रहा है। इस

सम्बन्ध में निदेश दिया गया की बचे हुए आवासीय इकाइयों में निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाये एवं प्रक्रियाधीन आवासीय इकाइयों को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाय।

6. अन्यान्य–

- सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ अगले मॉनसून में संभावित जल जमाव की समस्या की समीक्षा की गई। सभी 06 कार्यपालक पदाधिकारियों सहित नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को आवश्यक तैयारियों तथा नालों की उड़ाही, पम्पिंग मशीन की उपलब्धता एवं संभावित जलजमाव के क्षेत्रों को चिहि्न्त करने का निर्देश दिया गया ताकि मॉनसून आने पर अधिकतम 02 घंटों के अन्दर जलनिकासी की जा सके।
- नगर निगम में जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र का सभी अंचलों में विकेन्द्रीकरण करने का निदेश दिया गया।
- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को यह भी निर्देश दिया गया कि राशि की उपलब्धता के आधार पर ही कोई भी नई योजना ली जाये। राशि बिचलन कर योजना का कार्यान्वयन किसी भी परस्थिति में नही किया जाय।
- बैठक में उपस्थित पटना नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि नियमों के विपरीत काम करने वाले किसी भी स्तर के पदाधिकारी के विरूद्ध अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार न तो किसी को बचायेगी और न ही फसायेगी, इसलिए सभी पदाधिकारी नियम के अनुसार ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निर्भिक रूप से करें।
- यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर कोई पदाधिकारी स्वयं को सरकार एवं नियम से श्रेष्ठ समझता है तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वैसे पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
- नमामि गंगे योजना के तहत राजापुर स्थित नाली से बहते गंदे पानी को साफ कर नदी में डालने हेतु यंत्र स्थापित किया गया है, जिसका निरीक्षण महापौर एवं उपमहापौर के साथ माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसी माह में की जायेगी।
- बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनहित के कार्य में अभिरूची नही दिखाने, स्वेच्छाचारिता करने वाले एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित किया जाय तथा वैसे पदाधिकारियों/अभियंताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

21/6/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 03/विवि-17-09/2016- 1574 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 24-6-19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/महापौर, पटना नगर निगम/उपमहापौर, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/2019

प्रधान सचिव